भारत सरकार	**राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	**अतारांकित प्रश्न सं. 889**
वाणिज्य विभाग	

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए मुक्त व्यापार समझौता

889 **श्री राजीव शुक्ला:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने अमेरिका द्वारा हाल ही में किए गए शुल्क वृद्धि के मद्देनजर आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए कोई मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) मुख्य रूप से व्यापार को बढ़ाते हैं, जिसमें बेहतर बाजार पहुंच, सेवाओं का व्यापार, गैर-टैरिफ बाधाओं का समाधान, निवेश संवर्धन और आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग शामिल हैं। एफटीए का उद्देश्य व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए व्यापारिक पूरकताओं का लाभ उठाना है, जिससे निर्यात क्षमता में वृद्धि हो, उद्योग और किसानों के लिए संभावनाएं पैदा हों और रोजगार के अवसर सृजित हों। इस वित्तीय वर्ष में, सरकार ने वर्ष 2022 में शुरू हुई वार्ताओं के पूरा होने के बाद दिनांक 24 जुलाई, 2025 को यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) पर भी हस्ताक्षर किए, जिसके लिए वार्ताएं वर्ष 2023 में शुरू हुई थीं। भारत ने दिनांक 22 दिसंबर, 2025 को भारत-न्यूजीलैंड एफटीए पर वार्ताओं के समापन की घोषणा की। इसके साथ ही, भारत ने दिनांक 27 जनवरी, 2026 को भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ताओं के समापन की घोषणा की।

*****